



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260778
CG-DL-E-07022025-260778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2025/माघ 15, 1946

No. 36]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025/MAGHA 15, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

[विदेश व्यापार महानिदेशालय]

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2025

सं.45 / 2024-25

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.59 में संशोधन तथा आभूषणों के निर्यात के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) ड-1 से ड-8 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/104/एएम24/पीसी-4.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.59 में संशोधन:

पैरा 4.59 (क) से (ज) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

सोने/चांदी/प्लैटिनम के आभूषणों और उनसे बनी वस्तुओं पर अधिकतम अपव्यय या विनिर्माण हानि।		
क्र.सं.	निर्यात की मदे	निर्यात मद में सोना/प्लैटिनम/चांदी की मात्रा के संदर्भ में वजन के अनुसार अपव्यय का प्रतिशत

		सोना/प्लैटिनम	चाँदी
क)	सादे आभूषण और वस्तुएं, तथा मंगलसूत्र जैसे आभूषण जिनमें सोना और काले मोती/कृत्रिम पत्थर, क्यूबिक जिरकोनिया हीरे, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हों। क. हस्तनिर्मित ख. मशीनीकृत	2.25 % 0.90%	3.00% 0.90%
ख)	जड़ाऊ आभूषण और उससे बनी वस्तुएं। क. हस्तनिर्मित ख. मशीनीकृत (मशीनों द्वारा निर्मित और जड़े गए आभूषण)	4.00% 2.80%	4.00% 2.80%
ग)	स्वदेशी रूप से मार्जेटिंग और फाइंडिंग्स का विनिर्माण क. हस्तनिर्मित ख. मशीनीकृत	2.0 % 0.40%	2.50% 0.50%
घ)	यंत्रिकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित और बिना जड़ाऊ कोई भी आभूषण/वस्तु। (अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं)	0.90%	0.90%
ड.)	जड़ाऊ आभूषणों में प्रयुक्त मार्जेटिंग, चाहे आयातित हो या स्वदेशी रूप से प्राप्त/निर्मित हो क. हस्तनिर्मित ख. मशीनीकृत	1.50% 0.30%	1.50% 0.30%
च)	सोना/चांदी/प्लैटिनम पदक एवं सिक्के (वैध मुद्रा प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर) (अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं)	0.20%	0.20%
छ)	फाइंडिंग और मार्जेटिंग मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित	0.90%	0.90%
ज)	8 कैरेट और उससे अधिक (24 कैरेट तक) सोने की धार्मिक मूर्तियाँ (केवल देवता और देवी) i. हस्तनिर्मित/जड़ित मूर्तियाँ ii. सादी मूर्तियाँ	4.00% 2.00%	4.00% 2.00%

टिप्पणी:

1. यदि सोना या चांदी आयातित है और निर्यात उत्पादों में उपयोग किया जाता है, तो उसके मार्जेटिंग और फाइंडिंग्स का वजन निर्यात उत्पाद में सोने और चांदी की शुद्ध मात्रा निर्धारित करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

2. मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में संशोधन

मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) ड-1 से ड-8 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

सिओन क्र.सं.	निर्यात मद्	मात्रा	आयात क्र. सं.	आयात मद्	मात्रा
ड1 (क)	सादे आभूषण और वस्तुएं, तथा मंगलसूत्र जैसे आभूषण जिनमें सोना और काले मोती/कृत्रिम पत्थर, क्यूबिक जिरकोनिया हीरे, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हों। क. हस्तनिर्मित	1 किग्रा	1	सोना	1.0225 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.0225 किग्रा
			3	चांदी	1.03 किग्रा

सिओन क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात क्र. सं.	आयात मद	मात्रा
ड1 (ख)	सादे आभूषण और वस्तुएं, तथा मंगलसूत्र जैसे आभूषण जिनमें सोना और काले मोती/कृत्रिम पत्थर, क्यूबिक जिरकोनिया हीरे, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हों। ख. मशीनीकृत	1 किग्रा	1	सोना	1.009 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.009 किग्रा
			3	चांदी	1.009 किग्रा
ड2 (क)	जड़ाऊ आभूषण और उससे बनी वस्तुएं। क. हस्तनिर्मित	1 किग्रा	1	सोना	1.04 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.04 किग्रा
			3	चांदी	1.04 किग्रा
ड2 (ख)	जड़ाऊ आभूषण और उससे बनी वस्तुएं। ख. मशीनीकृत (मषीनों द्वारा निर्मित और जड़े गए आभूषण)	1 किग्रा	1	सोना	1.028 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.028 किग्रा
			3	चांदी	1.028 किग्रा
ड3 (क)	स्वदेशी रूप से निर्मित मार्जेंटिंग और फाइंडिंग्स क. हस्तनिर्मित	1 किग्रा	1	सोना	1.02 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.02 किग्रा
			3	चांदी	1.025 किग्रा
ड3 (ख)	स्वदेशी रूप से निर्मित मार्जेंटिंग और फाइंडिंग्स ख. मशीनीकृत	1 किग्रा	1	सोना	1.004 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.004 किग्रा
			3	चांदी	1.005 किग्रा
ड4	यंत्रिकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित तथा बिना जड़ाऊ कोई भी आभूषण/वस्तु। (अग्रिम प्राधिकरण के तहत लागू नहीं)	1 किग्रा	1	सोना	1.009 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.009 किग्रा
			3	चांदी	1.009 किग्रा
ड5 (क)	जड़ाऊ आभूषणों में प्रयुक्त मार्जेंटिंग, चाहे आयातित हो या स्वदेशी रूप से प्राप्त/निर्मित हो क. हस्तनिर्मित	1 किग्रा	1	सोना	1.015 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.015 किग्रा
			3	चांदी	1.015 किग्रा
ड5 (ख)	जड़ाऊ आभूषणों में प्रयुक्त मार्जेंटिंग, चाहे आयातित हो या स्वदेशी रूप से प्राप्त/निर्मित हो ख. मशीनीकृत	1 किग्रा	1	सोना	1.003 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.003 किग्रा
			3	चांदी	1.003 किग्रा
ड6	सोना/चांदी/प्लैटिनम पदक एवं सिक्के (वैध मुद्रा प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर) (अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं)	1 किग्रा	1	सोना	1.002 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.002 किग्रा
			3	चांदी	1.002 किग्रा

सिओन क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात क्र. सं.	आयात मद	मात्रा
ड7	मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित फाइंडिंग्स और मार्जेटिंग	1 किग्रा	1	सोना	1.009 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.009 किग्रा
			3	चांदी	1.009 किग्रा
ड8 (i)	8 कैरेट और उससे अधिक (24 कैरेट तक) सोने की धार्मिक मूर्तियाँ (केवल देवता और देवी) i. हस्तनिर्मित/जड़ित मूर्तियाँ	1 किग्रा	1	सोना	1.04 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.04 किग्रा
			3	चांदी	1.04 किग्रा
ड8 (ii)	8 कैरेट और उससे अधिक (24 कैरेट तक) सोने की धार्मिक मूर्तियाँ (केवल देवता और देवी) ii. सादी मूर्तियाँ	1 किग्रा	1	सोना	1.02 किग्रा
			2	प्लैटिनम	1.02 किग्रा
			3	चांदी	1.02 किग्रा

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के अंतर्गत अनुमेय अपव्यय और मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को संशोधित किया गया है। सार्वजनिक सूचना संख्या 30 दिनांक 01.11.2024 को इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[Directorate General of Foreign Trade]

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th February, 2025

No. 45/2024-25

Subject: Amendment in 4.59 of Handbook of Procedures, 2023 and modification in Standard Input Output Norms (SION) M- 1 to M-8 for export of jewellery

F. No. 01/94/180/104/AM24/PC-4.— In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment, with immediate effect:

1. Amendments in Para 4.59 of Handbook of Procedures, 2023:

Para 4.59 (a) to (h) is amended as under:

Maximum wastage or manufacturing loss on gold/ silver/ platinum jewellery and articles thereof.		
SI No	Items of Export	Percentage of wastage by weight with reference to Gold /Platinum /Silver content in export item
		Gold /Platinum

a)	Plain Jewellery and Articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads/imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones.		
	a. Handcrafted	2.25 %	3.00%
	a. Mechanized	0.90%	0.90%
b)	Studded Jewellery and articles thereof.		
	a. Handcrafted	4.00%	4.00%
	b. Mechanized (jewellery manufactured and studded by machines)	2.80%	2.80%
c)	Mountings and findings manufactured indigenously		
	a. Handcrafted	2.0 %	2.50%
	b. Mechanized	0.40%	0.50%
d)	Any jewellery/ articles manufactured by a mechanised process and unstudded.(not applicable under Advance Authorisation)	0.90%	0.90%
e)	Mountings, whether imported or indigenously procured / manufactured, used in studded jewellery		
	a. Handcrafted	1.50%	1.50%
	b. Mechanized	0.30%	0.30%
f)	Gold / silver / platinum medallions and coins (excluding coins of nature of legal tender) (not applicable under Advance Authorisation)	0.20%	0.20%
g)	Findings and mountings manufactured by mechanized process	0.90%	0.90%
h)	Gold religious' idols (only gods and goddess) of 8 carats and above (upto 24 carats)		
	i. Handcrafted/Studded idols	4.00%	4.00%
	ii. Plain idols	2.00%	2.00%

Note:

1. Weight of mountings & findings of gold or silver, if imported and used in Export Products, will not be included for determining net content of gold & silver in Export Product.

2. Amendment in Standard Input Output Norms (SION)

Standard Input Output Norms (SION) M-1 to M-8 is modified as under: -

SION SI No.	Export Item	Quantity	Import S. No	Import Item	Quantity
M1 (a)	Plain Jewellery and Articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads/imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones. a. Handcrafted	1 Kg	1	Gold	1.0225 Kg
			2	Platinum	1.0225 Kg
			3	Silver	1.03 Kg
M1 (b)	Plain Jewellery and Articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads/imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones. b. Mechanized	1 Kg	1	Gold	1.009 Kg
			2	Platinum	1.009Kg
			3	Silver	1.009 Kg
M2 (a)	Studded Jewellery and articles thereof. a. Handcrafted	1 Kg	1	Gold	1.04 Kg
			2	Platinum	1.04 Kg
			3	Silver	1.04 Kg
M2 (b)	Studded Jewellery and articles thereof. b. Mechanized (jewellery manufactured and studded by machines)	1 Kg	1	Gold	1.028 Kg
			2	Platinum	1.028 Kg
			3	Silver	1.028 Kg
M3 (a)	Mountings and findings manufactured indigenously a. Handcrafted	1 Kg	1	Gold	1.02 Kg
			2	Platinum	1.02 Kg
			3	Silver	1.025 Kg
M3 (b)	Mountings and findings manufactured indigenously b. Mechanized	1 Kg	1	Gold	1.004 Kg
			2	Platinum	1.004 Kg
			3	Silver	1.005 Kg
M4	Any jewellery/ articles manufactured by a mechanised process and unstudded. (not applicable under Advance Authorisation)	1 Kg	1	Gold	1.009 Kg
			2	Platinum	1.009 Kg
			3	Silver	1.009 Kg
M5 (a)	Mountings, whether imported or indigenously procured / manufactured, used in studded jewellery a. Handcrafted	1Kg	1	Gold	1.015 Kg
			2	Platinum	1.015 Kg
			3	Silver	1.015 Kg
M5 (b)	Mountings, whether imported or indigenously procured / manufactured, used in studded jewellery	1Kg	1	Gold	1.003 Kg
			2	Platinum	1.003 Kg

SION SI No.	Export Item	Quantity	Import S. No	Import Item	Quantity
	b. Mechanized		3	Silver	1.003 Kg
M6	Gold / silver / platinum medallions and coins (excluding coins of nature of legal tender) (not applicable under Advance Authorisation)	1Kg	1	Gold	1.002 Kg
			2	Platinum	1.002 Kg
			3	Silver	1.002 Kg
M7	Findings and mountings manufactured by mechanized process	1 Kg	1	Gold	1.009 Kg
			2	Platinum	1.009 Kg
			3	Silver	1.009 Kg
M8 (i)	Gold religious' idols (only gods and goddess) of 8 carats and above (upto 24 carats) i. Handcrafted/Studded idols	1 Kg	1	Gold	1.04 Kg
			2	Platinum	1.04 Kg
			3	Silver	1.04 Kg
M8 (ii)	Gold religious' idols (only gods and goddess) of 8 carats and above (upto 24 carats) ii. Plain Idols	1 Kg	1	Gold	1.02 Kg
			2	Platinum	1.02 Kg
			3	Silver	1.02 Kg

Effect of this Public Notice: The wastage permissible and Standard Input Output Norms under the Handbook of Procedures, 2023 with regard to export of jewellery and article has been revised. The Public Notice No. 30 dated 01.11.2024 had been superseded by this Public Notice.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.